भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1701
सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946, (शक)

काम के घंटों का विनियमन

1701. डॉ. एम.पी.अब्दुस्समद समदानी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कैब चालकों और गिग वर्कर्स के लिए विनियमित काम के घंटों और अनिवार्य विश्राम अवधि के प्रावधान को लागू करने की कोई योजना है क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग गंभीर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित बताए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में गिग वर्कर्स की उच्च जोखिम वाली कार्य-दशाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्वास्थ्य देखभाल लाभ, बीमा और दुर्घटना कवरेज प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): पहली बार, 'गिग कामगारों' और 'प्लेटफॉर्म कामगारों' की परिभाषा और इससे संबंधित उपबंध सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में दिए गए हैं जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

इस संहिता में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवरेज, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय करने के उपबंध किए गए हैं।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के गिग कामगारों के योगदान को स्वीकारते हुए, सरकार ने दिनांक 01.02.2025 को की गई अपनी बजट घोषणा में, उनके पहचान-पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था करने और आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी- पीएमजेएवाई) स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

****